

**आर्थिक कमजोर वर्ग (Economically weaker section) के व्यक्तियों को
Income Assest Certificate जारी करने के सम्बन्ध में**

हल्का पटवारी एवं ग्राम विकास अधिकारी की जाँच रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान मुताबिक जांच, गवाहों, शपथ एवं दस्तावेजानुसार आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमति ग्राम-निवासी ग्राम पंचायत तहसील जिला बून्दी का/की निवासी है। यह आर्थिक कमजोर वर्ग की जाति उपजाति का/की हैं। इसके स्वयं एवं परिवार की स्वामित्व में –

1. समस्त वास्तविक कृषि भूमि
2. समस्त वास्तविक आवसीय फ्लेट की माप
3. अधिसूचित म्यूनिसिप्लीय क्षेत्र में समस्त आवासीय भूखण्ड का माप
4. अधिसूचित म्यूनिसिप्लीय क्षेत्र के बाहर समस्त आवासीय भूखण्ड का माप
5. आय/धन समस्त स्रोतों से वार्षिक आय सत्र में शब्दों में है।

प्रार्थी का राशन कार्ड नम्बर दिनांक है।
स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर मय सील
ग्राम विकास अधिकारी

हस्ताक्षर मय सील पटवारी
हल्का नम्बर

परिवार की परिभाषा :- परिवार में प्रार्थी स्वयं एवं उसके माता, पिता, पति, पत्नि व 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहिन तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

आवेदक द्वारा शपथ-पत्र

मैं (आवेदक) पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री जाति
उपजाति तहसील जिला राजस्थान का स्थाई निवासी हूँ ।
मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के अन्तर्गत जाति उपजाति का सदस्य हूँ जो
राज्य की अधिकृत अनुसूचित जाति/उपजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य नहीं हूँ तथा के की अन्य
पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित जाति का सदस्य नहीं हूँ।

मेरे परिवार के स्वामित्व एवं कब्जे मे उपलब्ध सम्पतियों एवं वार्षिक आय निम्नानुसार है –

1. समस्त वास्तविक कृषि भूमि एकड़
2. समस्त वास्तविक आवासीय फ्लेट की माप (गज में)
3. अधिसूचित नगरपालिका(शहरी) क्षेत्र में स्थित समस्त आवासीय भूखण्डों का माप (गज में)
4. अधिसूचित नगरपालिका(शहरी) क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित समस्त आवासीय भूखण्डों का माप (गज में)
5. मेरे (आवेदक) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/साक्ष्य के आधार पर वित्तीय वर्ष मे समस्त स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय (शब्दों में रूपये) है।
6. मेरे (आवेदक) द्वारा सम्पतियों एवं वार्षिक आय सम्बन्धी उपर्युक्त प्रविष्टियों के समस्त दस्तावेज/साक्ष्य शपथ पत्र के साथ संलग्न कर दिये है।

मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियों मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है कि मैं आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित सभी मापदण्डों को पूरा करता/करती हूँ तथा पदों के लिये किये जाने का/की पात्र हूँ। चयन के पूर्व या पश्चात् किसी भ सूचना के मिथ्या या गलत पाये जाने की दशा में या अपात्रता का पता चलने पर मैं समझता/समझती हूँ कि अथ्युक्ति की नियुक्ति एवं प्रवेश का रद्दीकरण होगा। मैं ऐसी कार्यवाही के लिए भी स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी जो कि विधि और नियमों के अधीन है।

शपथ कर्ता

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विशिष्टियों मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य है, मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है, ईश्वर मेरा साक्षी है।

प्रमाणित

(ओथ कमिश्नर/नोटेरी पब्लिक)

शपथ कर्ता

परिवार की परिभाषा :- परिवार में प्रार्थी स्वयं एवं उसके माता, पिता, पति, पत्नि व 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहिन तथा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।